न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(कार्यवाहक पीठासीन अधिकारी :– श्री चिरंजीलाल दायमा, आर0 ए0 एस0)

संख्या :– 69/12 (92/2010) अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

न :– 1. नत्थू पुत्र कन्हैया जाति कीर
2. मनीराम पुत्र कन्हैया जाति कीर निवासी ढाणी गूजरावाली तन हाजीपुर तहसील बानसूर जिला अलवर ।

:——— अपीलांटस/वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र नेता जाति कीर
2. बोदन पुत्र रणजीत जाति कीर
3. रामेश्वर पुत्र प्रभू जाति कीर
4. रामावतार पुत्र प्रभू जाति कीर
5. हरप्यारी बेवा बाबूलाल जाति कीर
6. कमल पुत्र स्व0 बाबूलाल जाति कीर नाबालिग
7. नरेश पुत्र स्व0 बाबूलाल जाति कीर नाबालिग
8. बाला पुत्री स्व0 बाबूलाल जाति कीर नाबालिग
9. रूबी पुत्री स्व0 बाबूलाल जाति कीर नाबालिग
जरिये सरपरस्त माता हरप्यारी निवासी ढाणी गूजरावाली तन हाजीपुर तहसील बानसूर जिला अलवर ।

:——— असल रेस्पो0/प्रतिवादीगण

10. रामजीलाल पुत्र भौरा पौत्र चन्दर जाति कीर
निवासी ढाणी गूजरावाली तन हाजीपुर तहसील बानसूर
11. तहसीलदार बानसूर बहैसियत लैंड होल्डर

:——— तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी,बानसूर
दिनांक 6.10.2010

त 1. वकील अपीलांटस :– श्री प्रभूसिंह चौधरी
2. वकील रेस्पो0 :– श्री अनिल कुमार गुप्ता

निर्णय दिनांक 7.8.2015

प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बानसूर द्वारा राजस्व वाद संख्या 009 उनवान नत्थू वगैरा बनाम रामजीलाल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 6.10.2010 के विरूद्ध है, जिस के द्वारा प्रतिवादी रेस्पो0 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11, धारा 11 एवं धारा 100 सी0 ो0 स्वीकार किया जाकर वादीगण अपीलांटस का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 आर0 टी0 एक्ट न किया गया है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांटस ने तहत न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 आर0 टी0 एक्ट पेश किया । दौराने वाद प्रतिवादी रेस्पो0 ने आदेश 7 नियम 11, धारा 11 व धारा 100 सी0 पी0 सी0 के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादी संख्या 06 व 09 नाबालिग है । इनके विधिक संरक्षक को पक्षकार नहीं बनाया गया है । इसी प्रकार प्रतिवादी नम्बर 08 रोशन की मृत्यु दावा दायरी के 3 वर्ष पूर्व ही हो चुकी है । यह दावा मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश किया गया है, जो कि कानूनन चलने योग्य नहीं है । इसके अलावा मौजूदा वाद में रेसज्यूडीकेटा भी लागू होता है, क्योंकि इसी आराजी, इन्हीं पक्षकारों एवं इसी अनुतोष की बाबत पूर्व में एक वाद संख्या 79/1988 उपखंड अधिकारी,बहरोड के यहां चला था,जो निर्णय दिनांक 21.9.89 के द्वारा डिकी किया गया था । उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर मौजूदा वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत कानून बाधित है । अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण खारिज किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादीगण खारिज किया है, जिसकी यह अपील पेश की गई है ।

3. विद्वान वकील अपीलांटस का कथन है कि विद्वान तहत न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11, धारा 11 व धारा 100 सी0 पी0 सी0 में दिये गये प्रावधानों का सही तरीके से अध्ययन नहीं किया । ये प्रावधान साक्ष्य पर आधारित है । परन्तु तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं ली । हमारे मौजूदा वाद पर रेसज्यूडीकेटा लागू नहीं होता है । क्योंकि पूर्ववर्ती वाद संख्या 79/1988 मेरिटस पर निर्णित नहीं हुआ था, यह राजीनामा पर निर्णित हुआ था । प्रतिवादी रेस्पो0 प्रार्थी ने साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं किया है कि मौजूदा वाद की आराजी खसरा नम्बर 427 पूर्ववर्ती वाद की आराजी खसरा नम्बर 325 का ही हिस्सा है । इस प्रकार यह सिद्ध है कि दोनों वादों की आराजीयात अलग अलग है । इसी प्रकार पूर्ववर्ती वाद में केवल नत्थू ही वादी था,जबकि मौजूदा वाद में नत्थू के अलावा मनीराम व रामजीलाल भी वादी हैं । इस प्रकार यह सिद्ध है कि दोनों वादों में आराजी, पक्षकार व चाहा गया अनुतोष अलग अलग है । इसलिये रेसज्यूडीकेटा लागू नहीं होता है । प्रतिवादी से जवाब दावा लेकर ही रेसज्यूडीकेटा को तय किया जाना चाहिये । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने इस ओर गौर नहीं किया । इसके अतिरिक्त आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र प्रतिवादी को देने का अधिकार नहीं है । अगर उसको किसी प्रकार का कोई ऐतराज आदेश 7 नियम 11 की बाबत है तो उसे इसके सम्बन्ध में जवाब दावा पेश कर आपत्ति उठानी चाहिये । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपनी बहस के समर्थन में निम्नलिखित नजीरें पेश की :–

1. 2012 आर0 आर0 डी0 पेज 01
2. 2011 आर0 आर0 डी0 पेज 596
3. 2013 (4) आर0 एल0 डब्ल्यू0 3046
4. 2003 (1) डी0 एन0 जे0 सुप्रीम कोर्ट पेज 107
5. 2008 (4) आर0 एल0 डब्ल्यू0 राजस्थान पेज 3599
6. 2012 (1) आर0 आर0 टी0 पेज 293

4. विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि मिलान क्षेत्रफल से यह साबित है कि मौजूदा वाद की आराजी खसरा नम्बर 427 पूर्ववर्ती वाद की आराजी खसरा नम्बर 325 का ही भाग है । अतः यह सिद्ध है कि दोनों दावों की आराजी समान है । इन दावों में चाहा गया अनुतोष एवं पक्षकार भी समान है । अतः मौजूदा वाद पर रेसज्यूडीकेटा लागू होता है । इसी प्रकार इन्होंने मृत व्यक्ति के खिलाफ दावा पेश किया है तथा नाबालिगों के विधिक संरक्षक को भी पक्षकार नहीं बनाया है । इसलिये मोजूदा वाद कानून वर्जित है । अतः आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान लागू होते हैं । इनका कहना है कि जवाब दावा लेकर तनकियात कायम करके रेसज्यूडीकेटा का बिन्दू एवं आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों को तय करना चाहिये । विधिक प्रश्न को तय करने के लिये जवाब दावा लेने की आवश्यकता नहीं है । ना ही प्रतिवादी को जवाब दावा पेश करने हेतु पाबन्द किया जा सकता है । पूर्ववर्ती वाद में इकबाल जवाब दावा पेश होकर स्वीकार हुआ था,इसलिये तनकियात की आवश्यकता नहीं है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन में निम्नलिखित नजीरें पेश कीं :–

1. 2003 (1) डी0 एन0 जे0 पेज 107

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

2. 2008 (4) आर0 एल0 डब्ल्यू0 3599
3. 2003 आर0 आर0 टी0 पेज 293
4. 2012 (1) आर0 आर0 टी0 पेज 788

5. हमने पत्रावली का परिशीलन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही उभयपक्ष द्वारा पेश नजीरों का भी गहराई से अध्ययन किया । विद्वान तहत न्यायालय ने वादीगण अपीलांटस का वाद रेसज्यूडीकेटा एवं आदेश 7 नियम 11 में खारिज किया है । रेसज्यूडीकेटा का प्रश्न विधि एवं तथ्यों का मिश्रित प्रश्न है । इसी प्रकार आदेश 7 नियम 11 में भी प्रावधान किया गया है कि अगर वाद हेतुक प्रकट ना हो अथवा वाद किसी कानून से वर्जित हो तो आदेश 7 नियम 11 में वाद खारिज कर देना चाहिये । इन प्रावधानों का हम सम्मान करते हैं । परन्तु हम यहां यह स्पष्ट कर देना न्यायोचित समझते हैं कि रेसज्यूडीकेटा का प्रश्न विधि व तथ्यों का मिश्रित प्रश्न है । जिसे साक्ष्य व सुनवाई की जाकर ही तय किया जा सकता है । रेसज्यूडीकेटा का प्रश्न आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र में नहीं उठाया जा सकता । प्रतिवादी अपने जवाब दावा में ही इस प्रश्न को उठा सकता है । जैसा कि 2009 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 825 में माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने सरकार बनाम भोमा नामक प्रकरण में प्रतिपादित किया है कि रेसज्यूडीकेटा की आपत्ति जवाब दावा पेश करके ही उठाई जा सकती है । आर0 आर0 टी0 2010 (1) पेज 89 में भी रेसज्यूडीकेटा पर तनकी बनाने की बात कही गई है । आर0 आर0 डी0 2003 पेज 89 के पैरा 07 में अभिनिर्धारित किया गया है कि जो आपत्ति आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में उठाई गई है, वह जवाब दावे में उठाई जानी चाहिये तथा इस बाबत कानूनी तनकी बनाई जाकर इस पर विधिवत निर्णय किया जाना चाहिये । विद्वान वकील अपीलांटस द्वारा पेश नजीर 2013 (4) आर0 एल0 डब्ल्यू0 राजस्थान उच्च न्यायालय पेज 3046 में अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेश 7 नियम 11 पर साक्ष्य लेकर मामले को विनिश्चत्त करना चाहिये था । आर0 आर0 डी0 2012 पेज 01 के पैरा नम्बर 13 में अभिनिर्धारित किया गया है कि रेसज्यूडीकेटा का प्रश्न तथ्य एवं कानून का मिश्रित प्रश्न है, जिस पर अंतिम निर्णय समुचित तनकी कायम करके उपरान्त उभयपक्ष की साक्ष्य व सुनवाई के उपरान्त ही लिया जा सकता है । इसी प्रकार के अभिमत विद्वान वकील अपीलांटस द्वारा पेश अन्य नजीरों में भी व्यक्त किया गया है ।

6. इसके पश्चात विद्वान वकील रेस्पो0 प्रतिवादी ने जो नजीरें पेश की हैं ,उनका भी अध्ययन किया । उनके द्वारा जो नजीरें पेश की गई हैं, उनमें यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद पत्र खारिज करने हेतु आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन विनिश्चत्त करने के लिऐ लिखित कथन दायर करना आवश्यक नहीं है और प्रतिवादी को जवाब दावा पेश करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता । हम इन नजीरों का सम्मान करते हैं । परन्तु इन नजीरों के तथ्य यहां लागू नहीं होते हैं । क्योंकि इन नजीरों में मात्र आदेश 7 नियम 11 के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रावधान प्रतिपादित किये गये हैं, जिसके निस्तारण हेतु जवाब दावे की आवश्यकता नहीं होती है । जबकि मौजूदा प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 के अलावा रेसज्यूडीकेटा का बिन्दू भी तय किया गया है । रेसज्यूडीकेटा का बिन्दू विधि एवं तथ्यों का मिश्रित प्रश्न है, जिसे साक्ष्य ली जाकर ही तय किया जा सकता है । इसके अलावा प्रतिवादी का जवाब दावा लेकर इसकी तनकी भी बनाई जाती है । अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा पेश की गई नजीरें यहां चस्पा नहीं होती है ।

7. प्रकरण का सम्पूर्ण रूप से अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि विद्वान तहत न्यायालय ने प्रतिवादी रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, धारा 11 एवं धारा 100 सी0 पी0 सी0 में जो आपत्तियां उठाई गई हैं, उनके सम्बन्ध में ना तो प्रतिवादी रेस्पो0 प्रार्थी से कोई जवाब दावा ही लिया गया है, ना ही उन आपत्तियों के सम्बन्ध में तनकियात ही कायम की गई है और ना ही किसी प्रकार की साक्ष्य ली गई है । जबकि इस निर्णय के पैरा नम्बर 05 में अंकित नजीरों में प्रतिपादित किया गया है कि आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी द्वारा जो भी आपत्तियां उठाई जाती है, उन पर प्रतिवादी से जवाब दावा लिया जाना चाहिये । जवाब दावा आने के बाद दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम की जानी चाहिये और उन तनकियात पर साक्ष्य एवं सुनवाई ली जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिये । इसी प्रकार इन नजीरों में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि रेसज्यूडीकेटा का प्रश्न विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, जो कि साक्ष्य के आधार पर ही निर्णित किया जाना चाहिये । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने इन सब प्रकियाओं की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया । यह आदेश स्पिकिंग ऑर्डर की श्रेणी में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

नहीं आता है । विद्वान वकील अपीलांटस द्वारा जो नजीरें पेश की गई हैं, वे इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है ।

8. उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह स्पष्ट हो जाता है कि विद्वान तहत न्यायालय को प्रतिवादी रेस्पो0 द्वारा आदेश 7 नियम 11 में जो आपत्तियां उठाई गई है, उनके सम्बन्ध में उससे जवाब दावा लिया जाना चाहिये था । इसके पश्चात तनकियात कायम कर सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करना चाहिये था । साथ ही रेसज्यूडीकेटा पर साक्ष्य ली जानी चाहिये थी । इन सब प्रकियाओं को अपनाये बिना विद्वान तहत न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, उसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता । लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार कियें जाने योग्य है ।

9. अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर विद्वान तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.10.2010 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो प्रार्थी रेस्पो0 प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11, धारा 11 एवं धारा 100 सी0 पी0 सी0 में जो आपत्तियां उठाई गई हैं, उनके संबंध में उससे जवाब दावा लिया जावे । तत्पश्चात उन पर विधिक तनकियात कायम कर उन तनकियों पर उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य ली जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वो तहत न्यायालय में वास्ते सुनवाई दिनांक 7.9.2015 को उपस्थित हों ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(चिरंजीलाल दायमा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner